Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक एवं उसके परिजनों के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में जयपुर स्थित 6 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *20 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय एवं विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये **सुवालाल पहाड़िया, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर** के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय द्वारा **सुवालाल पहाड़िया, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर** के विरूद्ध शिकायत का सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु जयपुर नगर तृतीय** के नेतृत्व में **अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश स्वामी उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी जयपुर नगर तृतीय** द्वारा इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से ए.सी.बी. के **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक, पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद, पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** की विभिन्न टीमों द्वारा आज अलसुबह उनके जयपुर शहर एवं आसपास स्थित विभिन्न 6 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी एवं रिश्तेदारों के नाम से **अनेक** परिसम्पत्तियां अर्जित करने की सूचना है, जो उनकी **वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक** है। आरोपी संयुक्त निदेशक द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर शहर एवं आसपास में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम से विभिन्न स्थानों पर स्थित करीब **36 आवासीय एवं कृषि भूखण्डों के दस्तावेज** बरामद हुये हैं। जिनकी बाजार कीमत करोड़ों रुपयों की मानी जा रही है। आरोपी की पत्नी के नाम से एक **बैंक लॉकर** भी मिला है, जिसकी तलाशी ली जानी शेष है।

एसीबी उप महानिरीक्षक श्री डॉ. रवि के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है। आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**